FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

प्रार्थी: श्री हर्षित त्रिवेदी बनाम अप्रार्थी: तहसीलदार बांसवाड़ा

किस्म मुकदमा–(प्रार्थना पत्र) 136 L.R. Act प्रकरण संख्या– 29/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री हर्षित त्रिवेदी पिता स्व. भंवरलालजी जाति ब्राह्मण निवासी ठिकरिया तहसील बांसवाड़ा द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act विरूद्ध अप्रार्थीगण श्री तहसीलदार बांसवाड़ा पिता — जाति — निवासी — के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 27-11-2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
27-11-2018	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O साहब चुनाव एवं अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 23-1-2019 को पेश हो।	
23-1-19	पत्रावली पेश हुई वादी उपस्थित [illegible] तहसीलदार बांसवाड़ा जवाब वास्ते आगामी दिनांक 30-1-19 को पेश हो।	
30-1-2019	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली तहसीलदार बांसवाड़ा को जवाब वास्ते आगामी दिनांक 20-2-2019 को पेश हो।	
20-2-19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली [illegible] PO साहब [illegible] कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13-3-19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.6.22	पत्रावली पेश हुई अनुसार उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश नियत तिथि 12.7.22 को पेश हो। (sd)	
12.7.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप: आयें। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हुआ कि सहखातेदार की सहमति शेष है सहखातेदार अर्चना, दिव्यांग उप.। उनके बयान कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/7/22 को पेश हो। -पी-	अर्चना दिव्यांग त्रिवेदी
3.7.22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित आए। पत्रावली के अवलोकन से एवं बहस सुनने के पश्चात् ~~वाद~~ प्रार्थनापत्र पर मनन किया जाकर पाया कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया एवं निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। अतः पत्रावली फैसलशुमार हो नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया। -पी- उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - बाँसवाड़ा (जि. बांसवाड़ा)

प्र. सं. - 29/2018 पीठासीन अधिकारी - पी. सी. रेगर R.A.S.

दायर तारीख - 25-10-18

उनवान

हर्षित त्रिवेदी पिता स्व. भंवरलाल नि. ठिकरिया (प्रार्थी)

बनाम

तहसीलदार बाँसवाड़ा

(अप्रार्थी)

उपस्थित -

1. श्री जयेन्द्र पुरोहित (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. तहसीलदार बाँसवाड़ा

÷ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 एल.आर. एक्ट ÷

निर्णय दिनांक-

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ठिकरिया में स्थित ख. नं. 30 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, ख. नं. 198/1 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख. नं. 1048/557 रकबा 01 बिघा तथा ख. नं. 1653/814 रकबा 01 बिघा 05 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बिघा 16 बिस्वा आराजियात, प्रार्थी एवं उसके भाई दिव्यांक एवं माता श्रीमती अर्चना का दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रिकॉर्ड में मेरा नाम सक्षम [illegible] दर्ज किया गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम [illegible] तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में यथा आधार, [illegible] रिकॉर्ड में मेरा नाम हर्षित ही अंकित है समस्त प्रमाण-पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है।

मुझे ऋण लेने, बेचान, रहन इत्यादि में कठिनाइयों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Cont...

सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त खाते में मेरा नाम हिरेन के स्थान पर हर्षित किये जाने का आदेश तहसीलदार बांसवाड़ा को फरमावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बांसवाड़ा से जवाब तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया। सहखातेदार अर्चना, दिव्यांक के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

बहस प्रार्थना-पत्र पर सुनी गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर अध्ययन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी 2070-73 ग्राम ठीकरिया खाता सं. 737 में सहवन से हिरेन दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम हर्षित है इसके प्रमाण में आधार कार्ड, अंक-तालिका, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि पेश है। इस संबंध भूमिधारी तहसीलदार बांसवाड़ा ने भी सहमति व्यक्त की है।

उक्तानुसार जाहिर हुआ कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में हिरेन दर्ज है जबकि राजकीय दस्तावेजों में हर्षित दर्ज है। सहखातेदार अर्चना, दिव्यांक जो कि प्रार्थी की माता व भाई है, ने अपने बयानात में

cont...

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Bepari
Date: 2022.12.27 14:31:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का नाम हिरेन के स्थान पर हर्षित दर्ज करने में अनापत्ति जाहिर करते हुये सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम - डीकरिया के खाता सं. 737 में प्रार्थी का नाम हिरेन के स्थान पर हर्षित करने के आदेश दिये जाते है शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

तहसीलदार बांसवाड़ा उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय लिखा जाकर खरे इजलास सुनाया गया।

13/7/22

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी

(प्रकाश चन्द्र रेगर R.A.S.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:31:53 IST
Reason: SelfAttested